ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

OMKARA

निगमित कार्यालय : कोहिनूर मेजीवॉर, अंचल तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर. जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई 400028

| परिशिष्ट – IV–ए । नियम 8(6) का प्रावधान देखें ।

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता **मैसर्स ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड (उधारकर्ता), श्री ओमप्रकाश राजगढ़िया (निदेशक तथा गारंटर), श्री हर्ष वर्द्धन राजगढ़िया (निदेशक तथा गारंटर) तथा श्रीमती अनीता राजगढ़िया (निदेशक तथा गारंटर)** को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियाँ जिनका भौतिक अधिग्रहण आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा लिया जा चुका है। इसके उपरांत, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 09/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत) ने आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड से रेखांकनकारी प्रतिभूति के साथ एसाइनमेंट अनुबंध दिनांकित 26–07–2023 के माध्यम से उपरोक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटरों के समक्ष बकाया पड़े हुये समस्त ऋणों का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, विवरणित अचल संपत्तियों को 29–01–2026 को मध्या. 11.00 बजे से दोप. 12.00 बजे "जैसी है जहाँ है", जैसी है जो है" तथा "वहाँ जो कुछ भी है" तथा "बिना रिकोर्स" आधार पर बेची जायेगा, जो **रु. 10,24,56,622/– (रुपये दस करोड़ चौबीस लाख छप्पन हजार छह सौ बाईस मात्र) 26–07–2023 के अनुसार, साथ में 27–07–2023** से प्रभावी ब्याज तथा व्ययों सहित कुल बकायों की वसूली हेतु की जायेगी, जो उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटरों की ओर से ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिभूत ऋणदाता को देय है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटरों का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा तथा ज्ञात ऋणभारों (यदि कोई हो) के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धराज
तहतल (अधिमापन 250 वर्ग गज), भाग डी, नगर निगम सं. 11099, वार्ड नं. XIV, खसरा सं. 158/71, ब्लॉक डी, शिदिपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली 110005	**Rs. 90,00,000/-**	**Rs. 9,00,000/-**
तृतीय तल के भाग का पूर्वी छोर (अधिमापन 222 वर्ग गज) भाग डी, नगर निगम सं. 11099, वार्ड नं. XIV, खसरा सं. 158/71, ब्लॉक डी, शिदिपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली 110005	**Rs. 85,00,000**	**Rs. 8,50,000**

ई–नीलामी की तिथि	29–01–2026 को मध्या. 11.00 बजे
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	रु. 10,000/–
निरीक्षण तिथि	20–01–2026 को 01.00 से 02.00 बजे
भागीदारी के बोली पत्र / केवाईसी प्रलेख / धराज का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय	28–01–2026 को 5.00 बजे तक
अधिग्रहण की स्थिति	भौतिक
ज्ञात देनदारियाँ / ऋणभार	अज्ञात

विक्रय की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिये कृपया http://omkaraarc.com/auction.php पर दिये गये लिंक को देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत विक्रय की सांविधिक सूचना

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता / गारंटरों हेतु पंद्रह (15) दिनों की एक अनिवार्य सूचना भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त संदर्भित तिथि और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहें तो भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, लागत और व्ययों के साथ ऊपर उल्लिखितानुसार बकाया राशि का भुगतान करके आस्तियों को छुड़ा लें। भुगतान में चूक की स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता के विवेक पर संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (5) के अंतर्गत निर्धारितानुसार किसी भी विधि के माध्यम से बेचा जाएगा।

कृते ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 09/2023–24 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)

दिनाँक : 18–01–2026 हस्ता /– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मुंबई (श्री प्रभात चंद्र – +91 92210 28203)

PUBLIC NOTICE

DECLARATION OF PROCLAMATION OF OFFENDERS

Whereas the Hon'ble Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC) has issued an order dated 08-08-2025 in Execution Petition No. EA-120/22 titled as **"Surender Kumar Singh vs Parsvnath Developers Ltd." declaring Mr. Rajan Wahal S/o Late Sh. K. N. Wahal working at Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi as Proclaimed Offender.**

The aforementioned individual is hereby directed to appear before the Hon'ble Commission (DSCDRC) within a period of 30 days from the date of publication of this Notice.

Issued under Order of the Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC).

Date: 19-08-2025. **Deputy Registrar DSCDRC**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001.
ओए.नं. 160/2025

बैंक ऑफ बड़ौदा .....आवेदक
बनाम
गैलेक्सी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड .....प्रतिवादी

सेवा में,

(1) मैसर्स गैलेक्सी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा फ्लोर, यूनिट नंबर 215, प्लॉट नंबर एच–8 बेस्ट प्लाजा नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा दिल्ली–110034 और **यहां भी:** आर–13, इंदिरा मार्केट, ओल्ड सब्जी मंडी नॉर्थ दिल्ली–110007

(2) श्री रौनक उप्पल, 227, गेट नंबर 2 गुजरांवाला टाउन पार्ट–2 डॉ. मुखर्जी नगर नानक पियाऊ, गुरुद्वारा और पेंटामेड हॉस्पिटल के पास नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110009

(3) सुश्री हिमांशी वर्मा, निवासी एच–19/148, सेक्टर 7 रोहिणी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110085

जबकि ऊपर बताए गए आवेदक ने आपके खिलाफ रु. **53,55,477/– (तिरेपन लाख पचपन हज़ार चार सौ सतहत्तर रुपये मात्र)** की वसूली के लिए एक केस दायर किया है और जबकि ट्रिब्यूनल को यह संतोषजनक रूप से दिखाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस देना संभव नहीं है। इसलिए, यह नोटिस विज्ञापन द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आपको **08.04.2026 को माननीय रजिस्ट्रार** के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है (अधिक जानकारी के लिए कृपया **DRT** वेबसाइट **www.tribunal.gov.in** पर जाएं, फोन नंबर: **011–23748473**)

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

i. सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या **सिस्को वेबएक्स वीसी लिंक** के माध्यम से) से भाग ले सकते हैं।

ii. वी.सी. के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादीगण सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

iii. माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I/और वसूली अधिकारी–II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तिथि के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल यानी **drt.gov.in** पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के तहत उपलब्ध होंगे।

iv. किसी भी आघात स्थिति में, अधिवक्ता/वादीगण संबंधित अधिकारी से फोन नं. **23748473** पर संपर्क कर सकते हैं।

यह दिनांक **03 जनवरी 2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर से दिया गया है।

इस न्यायाधिकरण के आदेश से

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

ACRE

कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी – 66, जी – ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051 । **टेलीफोन :** 022 68643101।
पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019।
ई–मेल : acre.arc@acreindia.in । **वेबसाइट :** www.acreindia.in । **CIN :** U65993DL2002PLC115769

परिशिष्ट IV-A

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढ़ते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गैरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड [CIN : U65993DL2002PLC115769] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, **27.01.2026** को **शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे** तक **''जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए **रु. 2,13,76,539/- (रुपए दो करोड़ तेरह लाख छिहत्तर हजार पांच सौ उनतालीस मात्र)** यानि **ऋण खाता नं. A063XII-01 (पुराना ऋण खाता नं. HHLNOI00185095)** के लिए **रु. 1,94,51,079/- (रुपए एक करोड़ चौरानवे लाख इक्यावन हजार उनासी मात्र)** और **ऋण खाता नं. A063XII-02 (पुराना ऋण खाता नं. HLAPNOI00206695)** के लिए **रु. 19,25,460/- (रुपए उन्नीस लाख पच्चीस हजार चार सौ साठ मात्र)** के लिए **15.12.2025** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **16.12.2025** से प्रभावी जो **अशोक कुमार (प्रोपराइटर, संगीता ड्राई क्लीनर्स), गोविंद कुमार और पुष्पा देवी** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

उपरोक्त ऋण खातों के बेअरिंग नंबर **HHLNOI00185095** और **HLAPNOI00206695** के साथ ही सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, अंतर्निहित सुरक्षा, गिरवी और/या गारंटी, अन्य बातों के साथ जिसमें सुरक्षित संपत्ति शामिल है को सम्मान कैपिटल लिमिटेड **(''एससीएल'')** (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक **31.12.2019** को इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड **(''आईएआरसीएल'')** को सौंपा गया था, जिनको आईएआरसीएल द्वारा पुन: क्रमांकित किया गया था और क्रमश: नई ऋण खातों की संख्या **A063XII-01** और **A063XII-02** दी गई है। उक्त ऋण खाते को आईएआरसीएल द्वारा **एसीआरई–102–ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रूप में कार्य करने वाले सुरक्षित लेनदार के पक्ष में दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट एग्रीमेंट के साथ रेक्टिफिकेशन डीड दिनांक **26.08.2021** के साथ पढ़ें।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 93,00,000/- (रुपए तिरानवे लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'')** **रु. 9,30,000/- (रुपए नौ लाख तीस हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

मकान नंबर 80, (एल.आई.जी), जिसका क्षेत्र 85 वर्ग गज है, तल मंजिल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सहित, जिसका कुल कवर्ड क्षेत्र 1425 वर्ग फीट का है, सेक्टर–18 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है, फरीदाबाद– 121002, हरियाणा। उक्त संपत्ति निम्नानुसार सीमाबद्ध है:

उत्तर : सड़क 30 फीट **पूर्व : मकान नंबर 81, एल.आई.जी. टाइप**
दक्षिण : मकान नंबर 65, एल.आई.जी. टाइप **पश्चिम : मकान नंबर 79, एल.आई.जी. टाइप**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.acreindia.in देखें; संपर्क का नंबर: 0124-6910910, +91 7065451024; ई–मेल आईडी: auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
एसीआरई–102–ट्रस्ट के ट्रस्टी

दिनांक : 06.01.2026
स्थान : फरीदाबाद

''किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शरिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ई–मेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है ''।

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

Hero FINCORP

सीआईएन : U74899DL1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालय : 34, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, बसन्त विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाष : 011-4948 7150 फैक्स : 011-4948 7197, 011-4948 7198
ई–मेल : litigation@herofincorp.com, वेबसाइट : www.herofincorp.com

''परिशिष्ट–IV–ए'' [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] अचल सम्पति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सन्दर्भ में अचल सम्पति की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (हीरो फिनकार्प लिमिटेड) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार (हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदार से प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि के बकाये की वसूली के लिए निम्नलिखित तिथि पर **''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार''** पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य नीचे उल्लिखित है और जमा की जाने वाली घरोहर राशि क्रमशः उल्लिखित है।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता	नीलामी के तहत कवर प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य (आरपी)
1. **श्री कालू राम (कर्जदार),** कार्यालय ग्राम– कमालपुर, यूआरएफ मुंडनवास, पी.ओ. बगथला, तहसील– बावल, जिला–रेवाड़ी, हरियाणा–123501 2. **श्री रोहित (सह–कर्जदार),** निवासी : ग्राम कमालपुर, यूआरएफ मुंडनवास, बागथला (47), रेवाड़ी, हरियाणा–123501 3. **सुश्री ढोली (सह–कर्जदार/बंधककर्ता),** निवासी : ग्राम कमालपुर, यूआरएफ मुंडनवास, बगथला (47), रेवाड़ी, हरियाणा–123501	संपत्ति का क्षेत्रफल 555.5 वर्ग गज, खेवट नंबर 1, खतौनी नंबर 1 और 2, में से वाका गांव कमालपुर तहसील बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा–123501	रु. 36,00,000/– आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी राशि रु. 3,60,000/– वृद्धि राशि रु. 50,000/–

उस राशि की वसूली हेतु बकाया देयताएँ जिसके लिए सम्पत्ति बेची जा रही है	अधिकृत प्राधिकारी के नाम सहित सम्पत्ति के ऑन साइट निरीक्षण की तिथि/समय	ईएमडी तथा भागीदारी का निवेदन पत्र, केवाईसी, दस्तावेज, पैन कार्ड, ईएमडी का प्रमाण आदि जमा करने की अन्तिम तिथि	ऽ मिनट के स्वतः विस्तार सहित ई–नीलामी की तिथि एवं समय
रु. 28,65,973.09/– (रुपये अट्ठाईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ तिहत्तर तथा नौ पैसे मात्र) दिनांक 07.02.2024 तक ब्याज और अन्य प्रभारों सहित देय	26.01.2026 को या उससे पहले, 10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. तक प्राधिकृत अधिकारी: शरवन कुमार झा मोबाइल: 9599353339 ईमेल: **sharwan.jha@herofincorp.com** आप साथ ही संपर्क कर सकते हैं: श्री कैलाश चौधरी मोबाइल: 9820730811, **kailash.choudhary@herofincorp.com**	27.01.2026 को 5.00 बजे अप. तक तथा ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से	28.01.2026 समय : 10.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा खाता सं. 00030100161656, लाभार्थी का नाम : "हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड", आईएफएससी कोड : HDFC0000003 में जमा करनी होगी।

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें :

1. ई–नीलामी **''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी यही है आधार'' एवं ''जैसा भी है वहीं है आधार''** एवं **''उपचार–रहित आधार''** पर तथा **''ऑनलाइन''** संचालित की जायेगी।
2. ई–नीलामी **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नं. : 9173528727, 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 तथा ई–मेल Support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net)** के माध्यम से उनके वेबपोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर आयोजित की जा रही है।
3. प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। फिर भी, इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के सम्बन्ध में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में ई–नीलामी विज्ञापन हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड की कोई प्रतिबद्धता अथवा कोई प्रतिनिधान न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा।
4. अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी थर्ड पार्टी के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। यह बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अध्यधीन होगी। ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित वेबसाइट : https://sarfaesi.auctiontiger.net पर प्रकाशित की जा रही है।
5. ध्यानार्थ रहे कि कर्जदार ने सरफैसी अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रतिभूतिकरण आवेदन ('एसए') दायर किया है, एसए नंबर 598/2024, जो डीआरटी–कक चंडीगढ़ के समक्ष है तथा यह निर्णय के लिए लंबित है और आज की तिथि तक प्रतिभूत परिसंपत्ति की नीलामी पर कोई रोक नहीं है।

तिथि : 08.01.2026 स्थान : रेवाड़ी, हरियाणा **ह./– अधिकृत प्राधिकारी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड**

कार्यालय: वसूली अधिकारी–I, ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

बिक्री उद्घोषणा

टी.आर.सी. सं. 1281/2022

केनरा बैंक बनाम नगमा ट्रेडिंग कं.

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

(सीडी 1) मेसर्स नागमाट्रेडिंग कंपनी, डी–34/1, मधुबन मुहल्ला, गली नं. 3, उत्तरी घोंडा, मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली–110053
साथ ही : 175–176, धन पाट कॉलोनी, पासोंडा रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद

(सीडी 2) श्री अबरार हसन पुत्र मो. मुस्तफा, मेसर्स नगमा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर डी–34/1, मधुबन मुहल्ला, गली नं. 3, उत्तरी घोंडा, मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली–110053
साथ ही: 175–176, धन पाट कॉलोनी, पासोंडा रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद

(सीडी 3) श्रीमती नजमाबेगम, डी–34 (भाग–ए), मधुबन मुहल्ला, गली नं. 3 उत्तरी घोंडा, मौजपुर, शाहदरा, दिल्ली–110053.

1. जैसा कि रु. 2,29,78,014.00 तथा ओ.ए. फाइल करने की तिथि यानी 18.08.2009 से इसकी वसूली तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज और लागत एवं लागत तथा रिकवरी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रभारों सहित लागत के साथ–साथ प्रमाणपत्र देनदारों के अनुसार लागत की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा ओ.ए. नं. 08/2012 में ट्रांसफर रिकवरी प्रमाणपत्र सं. 1281/2022 तैयार किया गया है।
2. तथा जैसा कि उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि में अधोहस्ताक्षरी ने अनुसूची में नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि 2,29,78,014.00 तथा ओ.ए. फाइल करने की तिथि यानी 18.08.2009 से इसकी वसूली तक 12% वार्षिक साधारण ब्याज और लागत की राशि के तहत बकाया होगा। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 27.02.2026 को 12.00 बजे अप. से 1.00 अप. बजे के बीच, यदि जरूरी तो 1.00 अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली **''ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली''** के माध्यम से वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** पर होगी।
4. ई–नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1	निर्मित दुकान जिसका प्राइवेट नंबर जी–4 और 5 (ग्राउंड फ्लोर) है, जो प्लॉट नंबर 319 पर बनी सम्पत्ति में है, जिसका नाम **'भागमल कॉम्प्लेक्स'** है, जो नयाबांस, सेक्टर 15, नोएडा–201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 31.22 वर्ग मीटर है।	रु. 31.45 लाख	रु. 3.15 लाख

5. ईएमडी पहचान प्रमाण (वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रति सहित जिस पर भावी सम्पर्क का पता तथा स्व–प्रमाणित पैन की प्रति संलग्न हो, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता टी.आर.सी. सं. 1281/2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना है जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के पास अधिकतम 24.02.2026 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित कर ली जायेगी। असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री की प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली से ऐसी रिसीट प्राप्त होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से अपनी ई–नीलामी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं।
6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई–मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर आदि सहित **''टी.आर.सी. सं. 1281/2022''** लिखा होना चाहिए।
7. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास एक वैध लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड और ई–मेल पता तथा पैन नम्बर होना चाहिए। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा.लि., गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, उद्योग विहार, फेज 2, गुरुग्राम, हरियाणा–122015 (भारत) दूरभाष : 91–24–4302020/21/22/23, 91 7291981124/25/26, सम्पर्क व्यक्ति मिथलेश कुमार मोबाइल नं. 7080804466, वेबसाइट : **https://www.bankeauctions.com** तथा ई–मेल आईडी: **support@bankeauctions.com; dharani.p@c1india.com**
8. सम्भावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना तथा अग्रिम में मैसर्स सी–1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है जो उपरोक्त ई–नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है।
9. बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :

नाम एवं पद	ई–मेल तथा दूरभाष नं.
अंचू चाको (मुख्य प्रबंधक)	9560061442, 9560062365
शिशिर तिवारी (प्रबंधक)	7055924444 cb2365@canarabank.com

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सर्टिफिकेट देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री **'जहां है जैसी है' और 'जैसी है'** शर्त पर की जाएगी।
11. संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण बिक्री की तिथि से पूर्व किया जा सकता है जिसके लिए उपर्युक्त बैंक के नामित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. अतार्किक पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी डीआरटी–कक की रजिस्ट्री से पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली या बैंक से संपर्क करें।
14. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियों और दावा जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा, यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को रोक दिया जायेगा।
16. कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्य का निर्वहन करता है, बोली लगाने, कोई हित अर्जित करने या बेचने का प्रयास नहीं करेगा।
17. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की शर्तों के अधीन होगी: संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार है, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
18. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रुपये 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को दुबारा नी